तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31-7-19	वकील हुक प्रार्थी उपस्थित जावक रीडर पेशकार राज मार्फत पेश किया गया शामिल पत्रावली किया गया बहस हेतु समय चाहा पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 29-8-19 को पेश हो	
29-8-19	वकील वादी उपस्थित राज पेशकार उपस्थित बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 9-9-19 को पेश हो	
9-9-19	वकील वादी उपस्थित राज पेशकार उपस्थित बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन वाद वादी स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जावे के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो (कपिल आर्य) सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :– 291/2018

1 सन्तोष पत्नी स्व. दयाराम जाति ब्राह्मण निवासी नन्दराम की ढ़ाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादीया

–:: बनाम ::–

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़। – – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री देवदत्त भिडासरा अधिवक्ता — वादी
2. राज पैरोकार — प्रतिवादी

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 22.08.2019

वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादिया के नाम चक 8 एस.एस. डब्लयू. के खाता संख्या 286/244 की 6.578 हैक्टर भूमि व चक 6 एस.एस.डब्ल्यू. के खाता संख्या 152/141 में 3.740 हैक्टर भूमि वादिया के नाम सन्तोष कुमारी पत्नी स्व. देवदत्त व चक 6 एस.एस.डब्ल्यू. के खाता संख्या 152/141 में 2.019 हैक्टर भूमि वादिया के नाम सन्तोष पत्नी स्व. दयाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में वादिया के पुत्रों के साथ संयुक्त खाता में दर्ज है

वादिया की शादी देवदत्त पुत्र पैमाराम के साथ सम्पन्न हुई थी। दिनांक 16 09.1976 को वादिया के पति देवदत्त का देहान्त हो गया। स्वर्गीय देवदत्त से वादिया के कोई संतान नहीं थी व वादिया ही स्वर्गीय देवदत्त की एक मात्र विधिक वारिस थी इस कारण चक 8 एस.एस.डब्लयू के खाता संख्या 286/244 की 6.578 हैक्टर व चक 6 एस.एस.डब्लयू. के खाता संख्या 152/141 की 3.740 हैक्टर भूमि वादिया के नाम संतोष कुमारी पत्नी स्व. देवदत्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई जिस पर वादिया आज भी काबिज होकर काश्त कर रही है। वादिया ने अपने पति देवदत्त के देहांत के पश्चात दयाराम पुत्र जसराम से पुनर्विवाह कर लिया कर लिया जिससे वादिया के 4 पुत्र पैदा हुए। वादिया के पति दयाराम का भी देहात दिनांक 19.07.2000 को हो चुका है। दयाराम के धारण की कृषि भूमि चक 6 एस.एस. डब्लयू. खाता संख्या 152/141 में वादिया के नाम संतोष पत्नी स्वर्गीय दयाराम 2.019 हैक्टर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई व स्वर्गीय दयाराम की इसी खाता की 0.599 हैक्टर भूमि वादिया के चारों पुत्रों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई।

वादग्रस्त भूमि में से चक 8 एस.एस.डब्लयू. के खाता संख्या 286/244 की 6.578 हैक्टर व चक 6 एस.एस.डब्लयू. के खाता संख्या 152/141 की 3.740 हैक्टर भूमि में वादिया का नाम संतोष कुमारी पत्नी स्व. देवदत्त दर्ज है। वादिया के पुनर्विवाह के पश्चात वादिया के सभी पहचान के दस्तावेज यथा फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक खाता वादिया का नाम संतोष पत्नी स्वर्गीय दयाराम दर्ज है इसलिए उक्त भूमि के संबंध में राजकीय योजनाओं फसल बेचान में वादिया के पहचान दस्तावेजो एवं राजस्व रिकार्ड में नाम अलग–अलग रहने से वादिया का सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, व वादिया को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वादिया का वर्तमान नाम

लगातार 2

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

संतोष पत्नी स्वर्गीय दयाराम है इसलिए वादिया इस आशय की घोषणा करवाने की अधिकारी है, कि राजस्व रिकार्ड मे वादिया का नाम संतोष कुमारी पत्नी स्वर्गीय देवदत्त के स्थान पर वर्तमान वादिया का प्रचलित नाम संतोष पत्नी स्व. दयाराम दर्ज करवाने की अधिकारिणी है।

वादिया ने प्रतिवादी को कई दफा कहा कि वादिया का नाम राजस्व रिकार्ड में प्रचलित नाम के अनुसार अंकित किया जावे जिस हेतू प्रतिवादी स्पष्ट इन्कार हो गया यही बिनाय मुखारमात दावा है। वादपत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार व पूर्ण न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। लिहाजा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे।

(क) वादिया का नाम चक 8 एस.एस.डब्ल्यू. खाता संख्या 286/244 व चक 6 एस.एस. डब्लयू. खाता संख्या 152/141 में संतोष कुमारी पत्नी स्वर्गीय देवदत्त के स्थान पर संतोष पत्नी स्व. दयाराम घोषित किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें।

(ख) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष नजदीक अदालत हाजा हो तो दिलाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की और से राज पैरोकार द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि राज्य हीत को सुरक्षित रखते हुए वाद पत्र का निस्तारण फरमाया जावे।

प्रकरण में किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से उभयपक्ष की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

–:: आदेश ::–

बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन के बादवाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वादिया का नाम चक 8 एस.एस.डब्ल्यू. खाता संख्या 286/244 व चक 6 एस.एस.डब्लयू. खाता संख्या 152/141 में संतोष कुमारी पत्नी स्वर्गीय देवदत्त के स्थान पर संतोष पत्नी स्व. दयाराम घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 23.09.2019 को लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 291/2018

1 संतोष पत्नी स्व. दयाराम जाति ब्राह्मण निवासी नन्दराम की ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादीया

–:: बनाम ::–

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़। – – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 09.09.2019

वादी की ओर से श्री देवदत्त भिडासरा अधिवक्ता, प्रतिवादी की और से राजपैराकार इस वाद में आज दिनांक 09.09.2019 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वादिया का नाम चक 8 एस.एस.डब्ल्यू. खाता संख्या 286/244 व चक 6 एस.एस. डब्लयू. खाता संख्या 152/141 में संतोष कुमारी पत्नी स्वर्गीय देवदत्त के स्थान पर संतोष पत्नी स्व. दयाराम घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 09.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	– –
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	– –	प्लीडर की फीस	– –
..... रूपये पर प्लीडर की फीस	– –	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –	आदेशिका की तामिल	– –
कमिश्नर की फीस	– –	कमिश्नर की फीस	– –
आदेशिका की तामिल	– –		

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner